उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या–1328/V–2/2017–90(आ0)/2011

देहरादून, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–540/11–5–86–23(1) डी0ए0/85 दिनांक 02–5–1986 एवं तदविषयक संशोधित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–959/V–2/2014–90(आ0)/2011 दिनांक 27–8–2014 द्वारा हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें गंगा नदी एवं पर्वतीय भू–भाग के संदर्भ में ऋषिकेश नगरपालिका परिषद से बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 पर स्थित ग्राम घुघत्यानी तल्ली को सम्मिलित करते हुए वन क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र वर्तमान में हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की उत्तरी सीमा के रूप में सीमांकित है।

प्राधिकरण सीमा की उक्त सीमा के बाहर गंगा नदी के किनारे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के दोनों ओर जनपद टिहरी गढवाल अन्तर्गत स्थित उप क्षेत्र पर्वतीय बाहुल्य क्षेत्र है तथा इसमें रिवर राफ्टिंग गतिविधियों एवं तत्सम्बन्धी पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी व्यवसायिक क्षेत्र विकास/निर्माण गतिमान होने के दृष्टिगत इस प्रकार की गतिविधियों से इस क्षेत्र में भावी विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं। यह उपक्षेत्र प्राधिकरण का प्रभाव क्षेत्र न होने के फलस्वरूप विधिक रूप से यहां पर विकसित हो रही अथवा भविष्य में सम्भावित गतिविधियों को नियोजित रूप से नियंत्रित किया जाना सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र विशेष के संवेदनशील पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी तथा गंगा नदी में विकास एवं निर्माण गतिविधियों से होने वाले संभावित प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा यहां पर भावी विकास की अपेक्षाकृत प्रबल सम्भावनों के दृष्टिगत विकास एवं निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए नियोजित स्वरूप सुनिश्चित किया जाना आवश्यकीय हो जाता है।

अतः उत्तराखण्ड नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल पूर्व शासकीय अधिसूचना संख्या–540/11–5–86–23(1)डी0ए0/85 दिनांक 02–5–1986 एवं तदविषयक संशोधित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–959/V–2/2014–90(आ0)/2011 दिनांक 27–8–2014 में संशोधन की दृष्टि से ऋषिकेश से कौडियाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग–58 के दोनों ओर के एक किमी0 तक के राजस्व ग्राम एवं नगर निकाय के क्षेत्र को हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

193
25-9-17

संख्या–1328(1)/V–2/2017–90(आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जिला हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–4 में प्रकाशित कराकर उसकी 20–20 प्रतियां आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–1328(2)/V–2/2017–90(आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री आवास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल।
6– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7– जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढवाल।
8– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव